Impact Factor (QJIF): 8.47 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 06/December/2025 **IJRAW:** 2026; 5(1):83-85 **Accepted:** 17/January/2026

मानवाधिकार एक संवैधानिक उपचार

[*1]प्रो. मंगली बंजारा

[*1]सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, शास.के.आर.डी. महाविद्यालय, नवागढ़, बेमेतरा, छत्तीसगढ, भारत।

सारांश

मानवाधिकार मानव की स्वतंत्रता, समानता एवं शान से जीने की गरिमा का अधिकार है प्राकृतिक रूप से मानव को अनेक शक्ति एवं अधिकार प्राप्त है जो जीवन को सरलता, सहजता एवं अपने हिसाब से जीने के अनुकुल बनाता है। मानव अधिकार वह अधिकार है जो मानव के प्रकृति एवं उसके स्वभाव पे समाहित है इसके अभाव में मानव अपने इच्छा के अनुरूप नहीं जी सकता। मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता इसे पूर्ण करने के लिए अवसर प्रदान करती है, अधिकार हमारे सामाजिक जीवन को अनिवार्य आवष्यकताऐं है। इसके बिना व्यक्ति अपने अस्तित्व का विकास नहीं कर सकता और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। मानव अधिकार के बिना व्यक्ति अपने अस्तित्व एवं आपने अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकता, मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक एवं नैसर्गिक अधिकार है यह अधिकार मानव को आजादी, बराबरी एवं समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ ही जीवन जीने के लिए सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार के अधिकार मिलता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

मुख्य शब्दः मानवाधिकार, स्वतंत्रता, सहजता, अस्तित्व, नैसर्गिक, सार्वभौमिक, वैकल्पिक, ऐतिहासिक, गिरफ्तारी, प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि।

प्रस्तावना

मानव अधिकार के स्वरूप

मानवाधिकार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार साथ ही साथ एक जुटता का अधिकार शामिल है यह सर्वभौमिक अधिकार हम सभी में निहित है राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, मूल, रंग, भाषा, धर्म या तो अन्य अधिकार कुछ की ये रूप जीवन जीने के लिए बुनियादी अधिकार जैसे– भोजन, षिक्षा, काम, स्वास्थय और स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार शामिल है।

संविधान कि अनुच्छेद–21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के अलावा उसकी व्यक्तिगत आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता है यह प्रत्येक नागरिग, व्यक्ति और विदेष के लिए मौलिक अधिकार इसमें शामिल है–

- घुमने की आजादी
- किसी भी स्थान पर अपना घर बनाने की आजादी
- किसी भी वैध पेषा या कारोबार को करने की आजादी

समय के साथ संविधान के अनुच्छेद 21 में बदलाव करते हुए किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिये अहम भूमिका निभाइ गई है। प्रदुषण मुक्त जल एवं हवा पाने के अधिकार पर जोर दिया गया है।

- ए.के. गोपालन बनाम महा राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायलय के ऐतिहासिक फैसला देते हुए ''शरीर की स्वतंत्रता'' जो गिरफ्तारी से स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं बल्कि उसके सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल हैं

***Corresponding Author:** प्रो. मंगली बंजारा

- ओल्गा ऐलिस बनाम बाम्बे म्युनिसिपल कारपोरेषन (1985) के मामले में न्यायलय में आजीविका के अधिकार का जीवन के अभिन्न अंग माना है की वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना फुटपाथ निवासियों को बेदखल करना उनके जीवन ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उलंघन होगा।
- यू.एस.ए.आई.डी. (USAID) एक ऐसे विकास के लिए प्रतिबद्ध है जो मानव के अधिकारों की रक्षा करता है, मानव अधिकारों के उलंघन को रोकता है तथा उलंघन करने वालों को जवाबदेही बनाता है। यू.एस. ए.आई.डी. द्वारा निम्नलिखित पर दृष्टिकोण केन्द्रीत किया गया है–

1. सभी नागरिकों के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिष्चित करना तथा भेदभाव करने वालों से मुकाबला करना।
2. डी.आर.जी. सेक्टर प्रोंगामिंग सामपन स्थानों के अधिकार को आगे बढ़ाना विषेष रूप से कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मानव अधिकार के उलंघन के संरक्षण, समन और प्रतिक्रिया के लिए तंत्र का समर्थन करना।
3. मानवाधिकार ढांचे, संस्थानों और निगरानी को मजबूत करके उलंघनों को रोकना तथा सार्वभौमिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप मानवाधिकार सिद्धांतों को बढ़ावा देना।
4. पर्यावरण सुरक्षा कि निर्माण में घरेलु कानून नीतियों, संस्थानों और अभिनेताओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है जो दुर्व्यवहार में सुरक्षा में मदद करता है, जहां अधिकारों का उलंघन होता है वहां उलंघन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। मानव अधिकारों के हनन के व्यक्तिगत पीड़ितों के लिए जवाबदेही या प्रतिपूर्ति बनाना और भविष्य में होने वाले उलंघन के प्रभाव को रोकने में मदद करता है। यह सुनिष्चित करता है कि समाज के जरूरतों के प्रति सरकार की जवाबदेही को बढ़ाकर समाज के सभी वर्गो तक उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए न्याय ओर सम्मान के साथ अधिकरों की रक्षा करता है।
5. मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रषिक्षकों को प्रषिक्षित करने हेतु दक्षिण भारत में एन. एच.आर.सी. का जनसम्पर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देष्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान से लैस करना है। इसके अलावा विभिन्न कानूनी प्रावधान बनाये गये है।
   - किषोर न्याय और सुधार
   - मानवाधिकार एवं संवैधानिक उपचार
   - मानव तस्करी सामाजिक प्रभाव एवं निदान
   - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक उपचार
   - कम्पनियां और कानूनी प्रभाव
   - साइबर अपराध पर कानूनी षिकंजा
   - जघन्य अपराधों पर मृत्युदंड
   - तालाक एक ज्वलंत समस्याः– कानूनी समाधान
   - भारत का संविधान समस्या का समाधान

आंकड़ेः

NHRC द्वारा जारी आंकड़ो के मुताबिक देष में आयोग में बीते पांच वर्षो में 2017 तक अर्थात 2017 में–82,006, 2017 से–85,950, 2019 से–76585, 2020 में–75,064, 2021 में – 106022, षिकायतें दर्ज की गई है जो ग्राफ के अनुसार बढ़ते क्रम में रहा है।

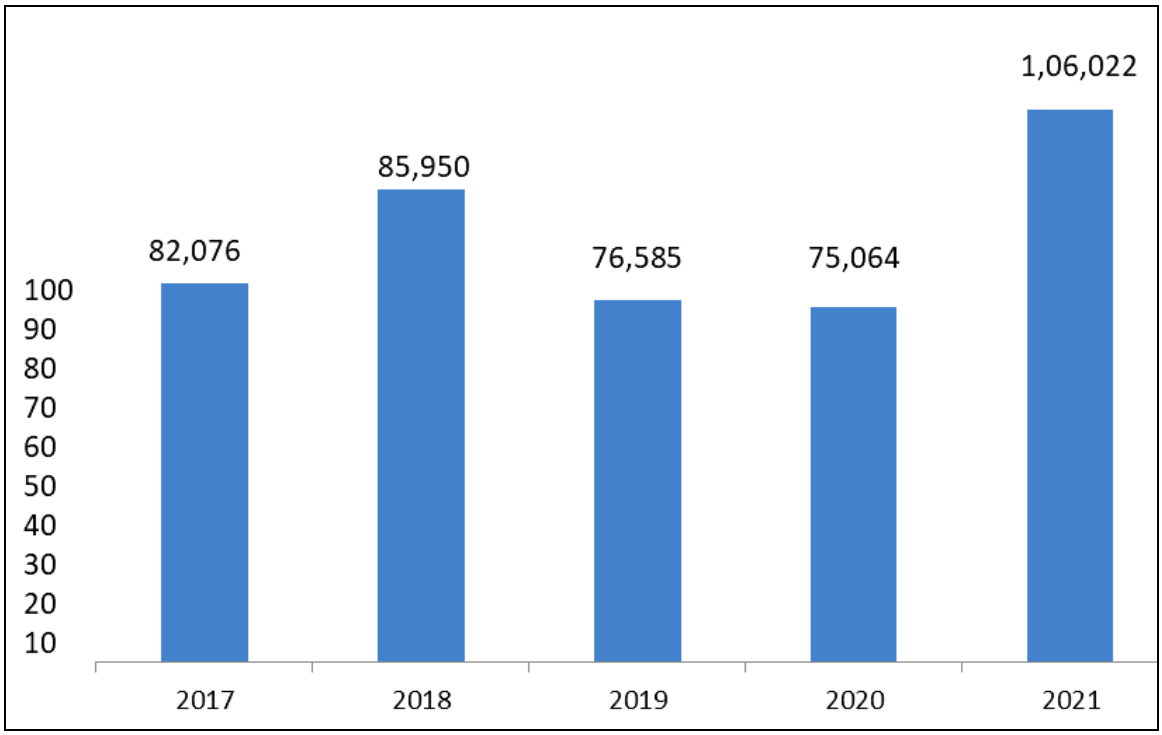

ग्राफ 1

मानव अधिकार के उलंघन को रोकने हेतु सरकार के प्रयास–

NHRC को एक मजबूत और शक्तिषाली संस्था बनाने के लिए द्वितीय प्रषासनिक सुधार आयोग को अपनी रिपोर्ट में अनेक सिफारिषें की है, रिपोर्ट के अनुसार आयोग को विभिन्न षिकायतों के लिए एक समान प्रारूप तैयार करें, इसके लिए पीड़ितों का विवरण इस प्रकार किया जाये जिससे विभिन्न आयोग के समक्ष डेटा का तालमेल सही रहे–

- आयोग में संसाधनों एवं धन की कमी को दूर किया जाये।
- आयोग में टास्क फोर्स जैसे– किसी कार्यकारी समूह का गठन किया जाये। जिससे तुरन्त कार्यवाही हो सके।
- सरकारों, पुलिस, न्यायपालिका व अन्य जांच एजेन्सियों द्वारा आयोग के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। जिससे आयोग अपना कार्य बिना
- रोक–टोक के कर सके।

केवल मानव अधिकार आयोग द्वारा षिकायतें दर्ज करने ओर निवारण करने मात्र से मानवाधिकारों की संरक्षण नहीं हो सकता। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक होना होगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अगर कोई कार्य हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण के साथ दूसरों के लिये भी नुकसानदेह है तो इसे अपना अधिकार नहीं माना जाना चाहिये। यह भी ध्यान रखना होगा कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर दुसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना होगा, समानता, प्रतिष्ठा शक्ति की आजादी अपने लिए चाहते है वह तो आजादी दूसरों को भी दे तभी हम अपने मानवाधिकारों का संरक्षण कर पायेंगे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. बसन्ती लाल बावेल
2. डॉ. एच.ओ.अग्रवाल
3. डॉ. एस.सी.सींघल
4. डॉ. वाई.एस.शर्मा
5. वी. टायल
6. महेन्द्र चौधरी एवं हरीराम परीधर
7. इन्टरनेटै।